

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीतारपीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बामनियाकुला

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बामनियाकुला
व यू.अ.नि. ५६७७ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायन
तहसीलदार रेलमगर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बामनियाकुला तहसील रेलमगर व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् १९७७ से. १५३३ में खाता संख्या ४५१ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>बामनियाकुला</u>	<u>४५१</u>	<u>मुरालाल पिं डालु बलार्</u>	<u>मुरालाल पिं डालु सालर्</u>

५/
उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
रेलमगर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगर

ग्रामांक:- ५२०
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- १८/१०/२५

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

५/
पीतारपीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
रेलमगर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,